

संख्या 2338 / मु0ख0/खनन/05/बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/2009-10/22, दिनांक 22 सितम्बर 2022
कार्यालय-ज्ञाप

श्री माधो सिंह पपोला पुत्र श्री देव सिंह पपोला, निवासी ग्राम पपोला, निवासी ग्राम पपोला, पोस्ट काफली, तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2111/VII-1-11/172-ख/2001, दिनांक 16 दिसम्बर 2011 के द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील कपकोट के ग्राम गुलमपरगड़ के क्षेत्रान्तर्गत कुल 4.866 है० क्षेत्रफल में 20 वर्ष की अवधि के लिये खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण दिनांक 07-04-2012 को किया गया से सम्बन्धित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज-माइनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015-16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68-ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-2015 के प्रस्तर-3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री कैलाश चन्द्र आर०क्यू०पी० पंजीकरण संख्या RQP/UKGMU/NO.012/YEAR2019 द्वारा तैयार की गयी स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माइनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के वर्ष 2022-23 हेतु 18000टन, वर्ष 2023-24 हेतु 18000टन, वर्ष 2024-25 हेतु 18000टन, वर्ष 2025-26 हेतु 18000टन एवं वर्ष 2026-27 हेतु 18000टन के उत्पादन हेतु प्रस्तुत स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

शर्तें/प्रतिबन्ध:-

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएं असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई हैं, तो अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
3. खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2111/VII-1-11/172-ख/2001, दिनांक 16 दिसम्बर 2011 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा।
5. पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
6. पट्टाधारक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) समाघात निर्धारण, प्राधिकरण के पत्र सं० 15/DEIAA/BAG-EC/2017-18 दिनांक 09-05-2018 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुये उक्त स्कीम ऑफ माइनिंग/उत्तरोत्तर खान बन्द की स्कीम के अनुसार खनन कार्य करेगा।
7. यह स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
9. अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
10. इस स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।

11. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना के अनुसार आंफ न जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
12. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
13. स्कीम आंफ माइनिंग, एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
14. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
15. भू-संदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होंगे।
16. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/पट्टाधारक का होगा।


संलग्नक: स्कीम आंफ माइनिंग
एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना
की अनुमोदित प्रति।


(एस0 एल0 पैट्रिक)

निदेशक।
तददिनांकित

पृष्ठांकन संख्या: 2338 / मु0ख0/खनन/05/बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/2009-10/22,
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
4. श्री माधो सिंह पपोला पुत्र श्री देव सिंह पपोला, निवासी ग्राम पपोला, निवासी ग्राम पपोला, पोस्ट काफली, तहसील व जनपद बागेश्वर।
5. श्री कैलाश चन्द्र आर0क्यू0पी0 पंजीकरण संख्या RQP/UKGMU/NO.012/YEAR2019।


(एस0 एल0 पैट्रिक)

निदेशक।